फार्म

श्रीलाल बनाम राजस्थान सरकार

/2025

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.08.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली में बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त ग्राम देवीसिंहपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर संवत 2039-42 के अनुसार खसरा न0 91 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी दोयम दर्ज रिकार्ड थी। जो पूर्व में मुल्ला पिता मांगू के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। उक्त साबिक खसरा न0 91 के हाल खसरा न0 167 मिन रकबा 1.49 है0, खसरा न० 167/315 रकबा 0.70 है० कुल किता 2 कुल रकबा 2.19 है0 बने। दौराने सेटलमेन्ट साबिक खसरा न० 91 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा के बने हाल खसरा न0 167/315 रकबा 0.70 है० की किश्म बारानी दोयम के स्थान पर गै० मु० नाला अंकित कर दी गई जबकि उक्त साबिक खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर 167 मिन रकबा 1.49 है० की किश्म बारानी दोयम राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। जबकि मौके पर कोई नाला मौजुद नही है।दौराने सेटलेन्ट भूप्रबन्ध अधिकारीयो व कर्मचारीयो को रिकार्ड ऑफ राईटस में किसी प्रकार से फेरबदल करने का कोई अधिकार नही था। उन्होने अपनी अधिकारीता से बहार जाकर कार्य किया है। इस कारण न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम देविसिंहपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर की जमाबन्दी सवतं 2039 से 2042 के अनुसार के साबिक खसरा न0 91 से बने हाल खसरा न० 167/315 रकबा 0.70 है० की किश्म गै० मु० नाला के स्थान पर बारानी दोयम अंकित किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे। बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि दौराने सेटलमेन्ट साबिक खसरा न० 91 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा के बने हाल खसरा न0 167/315 रकबा 0.70 है० की किशम बारानी दोयम के स्थान पर गै० मु० नाला अंकित कर दी गई जबकि उक्त साबिक खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर 167 मिन रकबा 1.49 है० की किश्म बारानी दोयम राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। जबकि मौके पर कोई नाला मौजुद नही है।दौराने सेटलेन्ट भूप्रबन्ध अधिकारीयो व कर्मचारीयो को रिकार्ड ऑफ राईटस में किसी प्रकार से फेरबदल करने का कोई अधिकार नही था। उन्होने अपनी अधिकारीता से बहार जाकर कार्य किया है। प्रकरण में तहसीलदार सांगानेर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार सांगानेर ने कथन किया कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल आराजी ख0स0 221 रकबा 0.12 है0, ख0न0 222 रकबा 0.26, ख0न0 222/314 रकबा 0.10 है0 के साबिक खसरा नम्बर 106 हैं मुताबिक ....लगातार	

प्रार्थना पत्र संख्या: /2025

राजस्थान सरकार

11.06.2025 साबिक जमाबन्दी संवत 2011 के अनुसार ख0न0 106 रकबा 1
18 बिस्वा किश्म बारानी दोयम दर्ज रिकार्ड है। दौराने सैट
साबिक ख0न0 106 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा किश्म बारानी
से बने हाल खसरा नम्बर 222 रकबा 0.26 है0 किश्म गै.मु.नाला
कर दी गई। जबकि साबिक खसरा नम्बर की किश्म बाराजी
दर्ज रिकार्ड थी। वर्तमान में प्रश्नगत आराजी ख0न0 222 मौ
कोई नाला नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसी
सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम देविसि
पटवार हल्का अजयराजपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
जमाबन्दी सवतं 2039 से 2042 के अनुसार के साबिक खसरा
91 से बने हाल खसरा न० 167/315 रकबा 0.70 है० की
गै० मु० नाला के स्थान पर बारानी दोयम अंकित किये जा
आदेश दिये जाते है आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगाने
तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से
हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय
प्रार्थना पत्र संख्या /2024

श्रीलाल पुत्र श्री बालू जाति जाट निवासी ग्राम देवीसिंहपु
जिला जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगाने

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राज

मान्यवर,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से

1 यह कि मुताबिक खतोनी बदोबस्त ग्राम देवि
अजयराजपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर सं
खसरा न0 91 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा किस्म ब
थी। जो पूर्व मे गुल्ला पिता मांगु के नाम से राजस
उक्त साबिक खसरा न0 91 के हाल खसरा न0 1
खसरा न0 167/315 रकबा 0.70 है0 कुल किता
बने।

2 यह कि दौराने सेटलमेन्ट साबिक खसरा न0 91 रक
के बने हाल खसरा न0 167/315 रकबा 0.70 है0 की
के स्थान पर गै0 मु0 नाला अंकित कर दी गई जबकि
नम्बर से हाल खसरा नम्बर 167 मिन रकबा 1.49 है
दोयम राजस्व रिकार्ड